



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2011/श्रावण 7, 1933

No. 4] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2011/SRAVANA 7, 1933

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2011

का.नि.आ. 05(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 41 की उप-धारा (2) के खण्ड (च), खण्ड (छ) और खण्ड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सशस्त्र बल अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2008 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2011 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सशस्त्र बल अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, (क) नियम 7 को उसके उप-नियम (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित नियम 7 के उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी उस उप-नियम में निर्दिष्ट आवेदन फीस केवल निम्नलिखित के संबंध में सदेय होगी -

- (i) मूल आवेदन (मू.आ.);
- (ii) पुनर्विलोकन आवेदन (पू.आ.);
- (iii) अवमान आवेदन (अ.आ.);
- (iv) अर्जी के पुनर्स्थापन के लिए आवेदन (प्र.आ.); और
- (v) मामले के अंतरण के लिए आवेदन (एक पीठ से दूसरी पीठ में या उसी पीठ के किसी न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में) (अं.आ.)” ।

3. मूल नियम के नियम 12 के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“12क. नियम 8 के अधीन प्रत्येक आवेदन और नियम 12 के अधीन उसका उत्तर उस व्यक्ति के द्वारा जिसने यथास्थिति आवेदन या उत्तर सत्यापित किया है, राजपत्र से समर्थित होगा ।”

[फा. सं. 1(1)/2011-डी (एफटी सेल)]

अरून कुमार बल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th July, 2011

S.R.O. 05(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (f), (g) and (k) of sub-section (2) of Section 41 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Armed Forces Tribunal (Procedure) Rules, 2008, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Armed Forces Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Armed Forces Tribunal (Procedure) Rules, 2008, (hereinafter referred to as the Principal Rules), (a) Rules 7 shall be re-numbered, as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) of rules 7 as so re-numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“(2) — Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the application fee referred to in that sub-rule shall be payable only in respect of—

(i) Original Application (OA);

(ii) Review Application (RA);

(iii) Contempt Application (CA);

(iv) Application for restoration of Petition (MA); and

(v) Application for transfer of case (from one Bench to another or from one court to another in the same Bench) (AT)”.

3. After rule 12 of the principal rules, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“12A.—Every application under rule 8 and the reply under rule 12 shall be supported by an affidavit of the person verifying the application or reply, as the case may be.”

[F. No. 1(1)/2011-D(AFT Cell)]

ARUN KUMAR BAL, Jt. Secy.